एक्ट अपरेंटिसों की भर्ती पर प्रेस का संक्षिप्त विवरण

भारतीय रेल अगस्त 1963 से अपरेंटिस अधिनियम के प्रावधानों के तहत नामित ट्रेडों जैसे फिटर, वेल्डर इत्यादि में आवेदकों को प्रशिक्षण प्रदान करती रही है। इन आवेदकों को बिना किसी प्रतियोगी परीक्षा या चयन प्रक्रिया के मैट्रिक के अंकों के आधार पर कर्मशालाओं, शेडों एवं अन्य फील्ड इकाइयों इत्यादि द्वारा नामांकित किया जाता है। यद्यपि कोई वैधानिक आवश्यकता नहीं थी, तथापि इन प्रशिक्षुओं को रेलवे द्वारा 2017 तक स्तर 1 के पदों के लिए विकल्प/ सब्स्टीट्यूट के रूप में नियुक्त किया जा रहा था।

• विकल्प/ सब्स्टीट्यूट अस्थायी नियुक्त व्यक्ति होते हैं, जिन्हें क्षेत्रीय रेलवे द्वारा किसी भी अत्यावश्यकता और परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नियुक्त किया जा सकता है। ऐसे नियुक्त व्यक्तियों को अस्थायी रेल सेवक होने के कारण लाभ दिया जाता है, वे तब तक स्थायी कर्मचारी नहीं होते हैं, जब तक कि वे उचित प्रक्रिया से नहीं गुज़रते हैं।

• तथापि, रेलवे भर्ती में निष्पक्षता एवं पारदर्शिता लाने और रेलवे भर्तियों में किसी भी विवेकाधीन तत्व को हटाने की दृष्टि से 2017 में एक केंद्रीकृत खुली, निष्पक्ष, पारदर्शी चयन प्रक्रिया निर्धारित की गई थी, जिसमें सभी खुली भर्ती के लिए लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा शामिल हो। तदनुसार सभी उम्मीदवारों को एक समान राष्ट्रव्यापी कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) में उपस्थित होना होगा, जिसके पश्चात वे शारीरिक दक्षता परीक्षा तथा अन्य भर्ती प्रक्रियाओं से गुज़रेंगे। महाप्रबंधकों द्वारा क्षेत्रीय स्तर पर प्रशिक्षुओं को विकल्प/ सब्स्टीट्यूट के रूप में नियुक्त करने का प्रावधान वापस ले लिया गया और पूरे भारतीय रेलवे में रोज़गार के सभी अवसर देश भर के सभी उम्मीदवारों के लिए खोल दिए गए।

• प्रशिक्षु अधिनियम 2014 में संशोधित किया गया था, जिसके अंतर्गत अधिनियम की धारा 22, ऐसे प्रशिक्षुओं की भर्ती के लिए एक नीति तैयार करने के लिए नियोक्ता को वैधानिक रूप से बाध्य करती है, जो अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रशिक्षित हैं। इस संशोधन के अनुसरण में रेलवे ने खुले बाज़ार में स्तर 1 पदों की भर्ती में विज्ञापित पदों के 20% की सीमा तक रेलवे प्रशिक्षुओं को वरीयता देने की नीति बनाई।

• इसलिए, यद्यपि रेलवे प्रशिक्षु अन्य सभी उम्मीदवारों के साथ लिखित परीक्षा/ शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए उपस्थित होते हैं, तथापि न्यूनतम योग्यता अंक प्राप्त करने और निर्धारित चिकित्सा मानकों को पूरा करने पर उन्हें नियुक्ति के लिए अन्य सभी से ऊपर माना जाता है। इस वरीयता के अलावा, इन प्रशिक्षुओं को भर्ती परीक्षाओं में बैठने के लिए आयु सीमा में छूट भी प्रदान की जाती है।

• तदनुसार, 2018 में आयोजित सामान्य भर्ती परीक्षा के लिए सीईएन 02/2018 के माध्यम से विज्ञापित स्तर 1 के 63202 पदों में से 12504 पद, ऐसे उम्मीदवारों के लिए निर्धारित किए गए थे। इसी तरह, सीईएन आरआरसी 01/ 2019 के अंतर्गत विज्ञापित स्तर-1 के 103769 पदों में से 20734 पद इन प्रशिक्षुओं के लिए निर्धारित किए गए हैं, जिसकी परीक्षा होनी बाकी है।

• ये प्रशिक्षु माँग करते रहे हैं कि उन्हें रेलवे में महाप्रबंधक की शक्तियों के तहत नियुक्ति दी जानी चाहिए, जैसा कि पहले किया जा रहा था। वे निर्धारित भर्ती प्रक्रिया, अर्थात् लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा से गुज़रने के इच्छुक नहीं हैं, जिसमें अन्य उद्योगों के प्रशिक्षुओं सहित अन्य उम्मीदवार शामिल होते हैं।

• रेलवे प्रशिक्षुओं द्वारा माँगी गई छूट भेदभावपूर्ण है और इससे देश में अन्य उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध रोज़गार के अवसरों में कमी आएगी। उनकी माँग को स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह संवैधानिक प्रावधानों तथा सार्वजनिक रोज़गार के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का उल्लंघन है, जिसमें निष्पक्ष चयन वाली प्रक्रिया के अलावा किसी अन्य प्रक्रिया से रोज़गार प्रदान नहीं किया जा सकता है।